

12-3-25

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपरिधत प्रकार
से वकील वादी द्वारा प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 4 जा. दी का
पेश किया। उक्त प्रा.पत्र में मृतक प्रतिवादी स-6 रामेश्वर
की मृत्यु होना बताया है किन्तु मृत्यु दिनांक प्रा.पत्र
में कहीं अंकित नहीं कि गई है और न ही मृत्यु प्रमाण
व शपथ पत्र सलंगन किया है। प्रकरण का अवलोकन
करने पर पत्रावली में प्राप्त प्रतिवादी स-6 रामेश्वर
के सम्मन पर तामील कुंनिन्दा कि रिपोर्ट के अनुसार
प्रतिवादी स-6 रामेश्वर कि मृत्यु तीन वर्ष पूर्व
होना बताया है। जबकि दावा दिनांक 12-6-24 को इस
न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण में वादी को
मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का पूर्व में अवसर दिया
गया था। किन्तु गिरा भी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं
किया और न ही वकील वादी ने अपने प्रा.पत्र में विलम्ब
से पेश करने का कारण व मृत्यु प्रमाण पत्र ^{पेश} नहीं होने
का कारण अपने प्रा.पत्र में अंकित नहीं किया गया है।
ऐसी स्थिति में दावा मृतक के विरुद्ध पेश करने का
माना जाकर वाद वादी का खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल शूमार होकर नम्बर खे कम हो।

५५